

उत्तर प्रदेश शासन  
गृह (पुलिस) अनुभाग-9  
संख्या-737/छ:-पु0-9-19-20(10)(4)/95  
लखनऊ: दिनांक: 12-मार्च,2019

**अधिसूचना  
(शक्ति)**

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या-02 सन् 1974) की धारा-21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-24 सन् 1965) की धारा-2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित समस्त केन्द्रों के प्राचार्यों/केन्द्र अधीक्षकों को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 12 अप्रैल,2019 तक के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित केन्द्रों, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

**भगवान स्वरूप  
सचिव।**

**संख्या-737(1)/छ:-पु0-9-2019 तददिनांक:**

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को दिनांक:12-मार्च,2019 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4, खण्ड-"ख" में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की मुद्रित 10 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**आज्ञा से  
(वीरेन्द्र सिंह)  
अनु सचिव।**

**संख्या-737(2)/छ:-पु0-9-2019 तददिनांक:**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (2) आयुक्त-कानपुर, लखनऊ इलाहाबाद एवं फैजाबाद मण्डल।
- (3) जिला मजिस्ट्रेट- कानपुरनगर, कानपुरदेहात, इटावा, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, कौशाम्बी, कन्नौज, रायबरेली, सीतापुर, औरैया, हरदोई, अमेठी, उन्नाव, फतेहपुर एवं लखीमपुर।
- (4) परीक्षा नियंत्रक, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर को उनके पत्र संख्या-सी.एस. जे.एम.वि0.वि0./सी0ओ0ई0/274/2019, दिनांक-24.02.2019 के सन्दर्भ में।
- (5) सम्बन्धित प्राचार्य/केन्द्र अधीक्षक को (द्वारा-परीक्षा नियंत्रक, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर)।
- (6) उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
- (7) प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।
- (8) गार्ड फाइल हेतु।

**आज्ञा से  
(वीरेन्द्र सिंह)  
अनु सचिव।**